

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-899/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(83)-2012
लखनऊ:: दिनांक: 07 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 08 सितम्बर, 2012 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-एक में क्रम संख्या 49 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
49	हस्तशिल्प जिसमें लकड़ी के बने हस्तशिल्प एवं केन के बने हस्तशिल्प सम्मिलित हैं परन्तु लकड़ी का फर्नीचर एवं केन का फर्नीचर सम्मिलित नहीं है; अधिकतम फुटकर मूल्य रुपया छः सौ तक की कीमत की संगमरमर की मूर्तियाँ, इस शर्त पर कि ऐसी संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किये बिना किया गया हो; मार्बल हैण्डीकाफ्ट गुड्स; कोरामाल; लकड़ी की नक्काशी।

(ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 5 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
5	मार्बल गुड्स, जिसमें अधिकतम फुटकर मूल्य रुपया छः सौ तक की कीमत की संगमरमर की मूर्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं, इस शर्त पर कि ऐसी संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किये बिना किया गया हो तथा इसमें मार्बल हैण्डीकाफ्ट गुड्स भी सम्मिलित नहीं हैं; ब्रास और तांबा से निर्मित दीपक; ब्रास से निर्मित मूर्ति; वूलेन कार्पेट; कप, ट्राफी, बैज, मेडल एवं शील्ड; कैची; नाइयों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाला उस्तरा; पैडलाक; रामपुरी चाकू।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।